न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 31/2020

निर्णय दिनांक:12.03.2021

1. श्रीमति संतोष पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ
2. जयप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ
3. सरिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ
4. गजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ
5. मोनिका बउम्र 16 वर्ष नाबालिक जरिये अपनी कुदरती माता श्रीमति संतोष पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. किस्तुरी पुत्री स्व. उदाराम पत्नी श्री मदनलाल जाति जाट निवासी कुचौर आथूणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद श्रीमती संतोष ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 618/298 तादादी 12.6600 हैक्टेयर, 620/425 तादादी 6.5800 हैक्टेयर कुल तादादी 19.2400 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि वादी संख्या 1 के ससुर व अन्य वादीगण के दादा उदाराम पुत्र जीवणराम जाट के खातेदारी की चली आ रही है। वादीगण के ससुर/दादा उदाराम की मृत्यु दिनांक .09.2017 को हो चुकी है। उदाराम के वारिसान की वंश वंशावली दावा की समझाईश हेतु निम्न प्रकार से है:—

उदाराम(फौत)

कानी पत्नी (फौत) | किस्तुरी (पुत्री) | रामचन्द्र (पुत्र)

संतोष (पत्नी) | जयप्रकाश (पुत्र) | सरिता(पुत्री) | गजेन्द्र (पुत्र) | मोनिका(पुत्री)

यह है कि वादगत खसरान भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी उपयोग—उपभोग की कृषि भूमि है। खातेदारी उदाराम व उसकी पत्नी कानी (मृत्यु दिनांक 03.02.2006) की मृत्यु के पश्चात् वादगत खसरान भूमि में /2 हिस्सा भूमि की खातेदारी विरास्तन किस्तुरी प्रतिवादी संख्या 1 व उदाराम के पुत्र रामचन्द्र को प्राप्त हुई है। [illegible] रामचन्द्र माह जनवरी 2004 में दुबई लेबर कार्य करने के लिये गया था, जहां वह [illegible] कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी में काम करने लगा। वादीगण का रामचन्द्र के साथ अन्तिम सम्पर्क [illegible] 2007 तक रहा, उसके बाद वादीगण का रामचन्द्र के साथ कोई सम्पर्क नही है, ना ही रामचन्द्र आज तक भारत में आकर वादीगण के सम्पर्क में है। वादीगण के परिजन भंवरलाल द्वारा दिनांक 17.12.2017 को विदेश मंत्रालय को लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने भाई रामचन्द्र से सम्पर्क नहीं होने तथा उसकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये निवेदन किया था, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:36 IST
Reason: SelfAttested

भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित दूतावास में रामचन्द्र के लापता होने की रिपोर्ट की जानकारी वादीगण के परिजन को दी। यह है कि माह सितम्बर 2007 के बाद वादीगण के पति/पिता रामचन्द्र के जीवत होने की कोई सूचना वादीगण या परिजन या आमजन को नहीं है, ना ही पिछले करीब 13 साल से रामचन्द्र से कोई सम्पर्क किसी भी माध्यम से वादीगण से नहीं हुआ है। वादगत खसरान भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी, कब्जा, उपयोग–उपभोग की भूमि है। उदाराम की मृत्यु के बाद वादगत खसरान भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व शेष 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण का कब्जा, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। यह है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 26.05.2020 को निवेदन किया कि वे वादगत खसरान भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवा दे/कर दें, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि मेरा भाई रामचन्द्र से पिछले करीब 13 साल से कोई सम्पर्क नहीं है, इसलिये उक्त खसरान भूमि की खातेदारी अब मैं मेरे अकेली के नाम दर्ज करवाउंगी, प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा कि हम किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना तुम्हारे नाम खातेदारी दर्ज नही करेंगे। यह है कि वादीगण उदाराम के खातेदारी भूमि के उतराधिकारी है, जो कि वादगत खसरान भूमि में संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि का स्वामित्व उदाराम के उतराधिकारी होने के नाते प्राप्त करने के अधिकारी है। वादगत खसरान भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि को वादीगण संयुक्त रूप से पिछले करीब 40 वर्षों से (जन्म से) काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण अपने उपरोक्त हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार रखते है। यह है कि प्रतिवादीगण येनकेन प्रकारेण वादीगण को वादगत खसरान भूमि में उनके हक, हिस्से से बेदखल कर भूमि को रहन,वहन,विकय, खुर्द–बुर्द करने का आमादा है तथा ऐलानियां धमकी देते है कि हम वादीगण को खेतों को काश्त करने नहीं देंगे। वादीगण अपने हक व हिस्से व कब्जा उपयोग–उपभोग करने का अधिकार रखते है। वादीगण प्रतिवादी से बाहुबल के आधार पर मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसलिये वादीगण न्यायालय के जरिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने हक व हिस्से की भूमि बाबत् चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। यह है कि वादीगण ने अपने पैतृक हक व हिस्से की भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी की घोषित करवाने का दावा प्रस्तुत किया है, जिसके लिये राजस्व रिकार्ड संधारण कर्ता होने के नाते राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय को पक्षकार संयोजित किया गया है। राज्य सरकार के विरूद्ध सीधे किसी अनुतोष की मांग नहीं की गई है। राज्य सरकार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना चाहिये, परन्तु प्रतिवादीगण शीघ्र ही वादगत खसरान भूमि को खुर्द–बुर्द करने को आमादा है, इसलिये वादीगण का दावा अतिआवश्यक प्रकृति का है। धारा 80 सी.पी.सी. नोटिस मियाद के पश्चात् दावा प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो जावेगे, इसलिये वादीगण द्वारा धारा 80(2) सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कानूनी नोटिस की छूट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हर प्रकार से अन्दर मियाद है। यह है कि वादगत खसरान भूमि वाकेराही कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है, जिसके राजस्व वाद विवाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्नीय न्यायालय श्रीमान्जी को प्राप्त है। प्रस्तुत दावा पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादीगण का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया है:–

(क) कि वादगतस खेत खसरा नम्बर 618/298 तादादी 12.6600 हैक्टेयर, 620/425 तादादी 6.5800 हैक्टेयर कुल तादादी 19.2400 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादीगण के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषित की जावे।

(ख) कि चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री खिलाफ प्रतिवादीगण आमजन की जारी की जावे कि वे वादगत खेत खसरान भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्सा भूमि के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी पैदा करे, ना ही करावे, ना ही खुर्द–बुर्द करे, ना ही किसी से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जिसका वादीगण [illegible] दिलाकर [illegible] आज्ञाप्त फरमाया जावे।

(घ) कि हर्जा–खर्चा दावा प्रतिवादी से दिलाया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत इकबालिया जवाब दावा पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के पति/पिता रामचन्द्र का 13 साल से वादीगण या परिजन या आमजन से कोई सम्पर्क नहीं है, एवं वादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त खसरात भूमि में रामचन्द्र पुत्र उदाराम व वादी संख्या 2 ता 5 के नाम से सयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित किये जाने का निवेदन किया है। वादी एवं प्रतिवादी को वाद स्वीकार करनें में कोई आपति नही होने के कारण वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 618/298 तादादी 12.6600 हैक्टेयर, 620/425 तादादी 6.5800 हैक्टेयर कुल तादादी 19.2400 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढवादी में रामचन्द्र पुत्र उदाराम व वादी संख्या 2 ता 5 के नाम से सयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें । डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:36 IST
Reason: SelfAttested